[2019] 1 एससीआर 256

ए चंदर भान सिंह

बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2019

की आपराधिक अपील संख्या 30) बी 08 जनवरी, 2019 [

एनवी रमना और

मोहन एम शांतनगौदर, जेजे]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – 5.397 - पुन:रीक्षण - अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने 2002 में आपराधिक मामला दर्ज C_ की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की - उनका आरोप था कि उनके बेटे को पुलिस द्वारा गलत तरीके से मार दिया गया था - सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की - मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और 13 पुलिस अधिकारियों-आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया - आरोपी और एनसीटी सरकार ने धारा 482 के तहत अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। सीआरपीसी - उच्च न्यायालय p._ याचिकाओं को खारिज कर दिया और मजिस्ट्रेट को संज्ञान के बिंदु पर पुनर्विचार करने और सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट पर एक नया निर्णय लेने का निर्देश दिया - मजिस्ट्रेट ने मामले को फिर से सुना और क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया - अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती दी - मामले को 2 साल तक लंबित रखने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता E_ की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सत्र न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता थी - सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील - ने कहा: यह मामला वर्ष 2002 में हुआ था और लगभग सोलह साल बीत चुके हैं - यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित है कि वादी को संवैधानिक अधिकार के मामले के रूप में त्वरित न्याय प्रदान किया जाना चाहिए - यह इस न्यायालय के लिए उचित मामला नहीं है। इसमें शामिल विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कानून - कानून का सवाल खुला छोड़ दिया जाता है और पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को बहाल किया जाता है - उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद बिना किसी और देरी के उचित आदेश पारित करेगा । जी आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2019 का 30. 2012 के नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 28.10.2014 के निर्णय और आदेश से। एच 256 चंद्र भान सिंह बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो केके राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, तारकेश्वर नाथ, चंद्रशेखर ए चकलाबीबी, एस के पांडे, अंशुल राय, मुकेश हुड्डा, राजीव चौधरी, ओंकार नाथ, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अपीलकर्ता के वकील।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रमोद दुबे, विवेक जैन, सुश्री सुचित्रा कुंभात, पीके दुबे, सुश्री स्मृति सिन्हा, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आदित्य सिंगला, सुश्री वर्षा पोद्दार, सुश्री एम जग्गी, अनूप प्रसाद, गौतम नारायण, सुश्री अस्मिता सिंह, संतोष कुमार, पीके डे, ऋषभ जैन, मुकेश कुमार मारोरिया, श्रीमती प्रिया पुरी, रंजय दुबे, सुश्री विनीता एम, एडवोकेट सुश्री रंजना नारायण, टी. ए. खान, बी. वी. बलराम दास, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1। अनुमोदन स्वीकृत।

2. यह आपराधिक अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.10.2014 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उक्त न्यायालय ने विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान को खारिज करने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

3. लगभग सोलह वर्षों में फैले इस मामले के उतार-चढ़ाव भरे इतिहास पर ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है। 17.01.2002 को, अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य, पुलिस उपायुक्त और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की मांग करते हुए आपराधिक

रिट याचिका संख्या 70/2002 दायर की। अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र को पुलिस ने 11-01-2002 को गलत तरीके से मार डाला था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 30-01-2002 के आदेश के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शिकायत दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 218, 302, 201 के साथ 34 के तहत आरसी नंबर 2 (एस)/2002/एसआईसी-4/एनडी के तहत शिकायत दर्ज की है।

4. सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 173 के तहत इस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दायर की कि उपराज्यपाल, एनसीटी दिल्ली ने इसे अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली ने दिनांक 06.08.2008 के आदेश द्वारा सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और उसके समक्ष मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद तेरह पुलिस अधिकारियों ("आरोपी") के खिलाफ संज्ञान लिया। आरोपियों को तलब किया गया था, और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 1 एस.सी.आर.

5. इस बीच, एक अभियुक्त ने 2009 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 8 दायर की, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 06.08.2008 के आदेश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दिनांक 14-05-2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। तत्पश्चात्, अभियुक्तों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट के दिनांक 06-08-2008 के आदेश और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14-05-2009 के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। दिनांक 22.09.2011 के एक सामान्य निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त याचिकाओं को अनुमति दे दी और मजिस्ट्रेट को संज्ञान के बिन्दु पर पुनवचार करने और सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट पर नए सिरे से निर्णय लेने का निदेश दिया।

6. अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 87-90 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी, जिसमें याचिका को दिनांक 12.12.2011 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और मजिस्ट्रेट को मामले पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश देने के साथ उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया था।

7. मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों को फिर से सुना और दिनांक 24.05.2012 के आदेश द्वारा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने दिनांक 12.09.2012 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी। उपरोक्त मामले को दो वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखने के बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.10.2014 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सत्र न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस न्यायालय द्वारा यह ध्यान दिया गया है चूंकि आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था, इसलिए अगला पदानुक्रम न्यायालय सत्र न्यायाधीश है और यद्यपि निश्चित रूप से पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने के लिए दोनों न्यायालयों अर्थात उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास समवर्ती शक्तियां निहित हैं, लेकिन सत्र न्यायाधीश के मंच को दरकिनार करने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। इस अदालत का विचार है कि यह उचित होगा यदि याचिकाकर्ता पहले निचले मंच यानी सत्र न्यायालय से संपर्क करे और जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, वह उसके बाद ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। चन्द्र भान सिंह बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

8. प्रारंभ में, जब इस मामले को इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था, तो विद्वान पक्षों की ओर से पेश हुए एक वरिष्ठ वकीलों ने विस्तार से बहस की थी और हमें नई संहिता के तहत समवर्ती पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के मुद्दे से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों और केस कानूनों के बारे में बताया था। इसके अलावा, विद्वान वकीलों ने सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अधिकार क्षेत्र के विकल्प बी के बारे में सवाल पर फैसला करने और निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने क भी मांग की थी।

9. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह मामला बहुत पहले वर्ष 2002 में हुआ था और लगभग सोलह वर्ष बीत चुके हैं, और यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित है कि हम एक संवैधानिक अधिकार के मामले के रूप में त्वरित न्याय प्रदान करना चाहते हैं, हम इस मामले को इसमें शामिल

विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं।

10. ऐसा कहने के बाद, हम कानून के प्रश्न को खुला छोड़ते हैं, 2012 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 557 में उच्च न्यायालय के दिनांक 28.10.2014 के आदेश को रद्द करते हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को बहाल करते हैं। इसके अलावा, हम उपरोक्त न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह मामले को गुण-दोष के आधार पर सुने और उसके बाद बिना किसी देरी के उचित आदेश पारित करे। यदि कोई पक्ष उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट है, तो हम उन्हें फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हैं।

11. मामले से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और उच्च न्यायालय ई से अनुरोध है कि वह इस मामले में शामिल सभी बिंदुओं पर स्वतंत्र रूप से और कानून के अनुसार विचार करे।

12. अपील का निस्तारण पूर्वोक्त शर्तों में किया जाता है। देविका गुजराल की अपील का निस्तारण।

Digitally signed by Aroma Raman Picess
Date: 2023.10.31 10:21:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Bareilly